FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, बीकानेर जिला बीकानेर

स्टेट जरिये थानाधिकारी
पुलिस थाना नयाशहर
जिला बीकानेर

: ब ना म : अज्ञात

किस्म मुकदमा ई.सी.एक्ट (धारा 6(ए))

मु.सं. 9 /19

श्री अभियोजन अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ज... हुक्म की ... में जारी
30.09.2019	स्टेट की तरफ से अभियोजन अधिकारी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6(ए) के तहत अज्ञात के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 12.02.1991 को श्री भीयाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर ने मकान शंकरलाल पुत्र श्री दाउलाल जाति खत्री पूगल रोड़, बंगला नगर, बीकानेर से जरिये फर्द जब्ती 5 बडे गैस सिलेण्डर नम्बर0100451 बी.पी.ओ. 27049 इण्डेन, 127208 इण्डेन, 169409 इण्डेन, 48223 एच.पी. तथा 9 सिलेण्डर मिडियम साईज बिना नम्बरी व बिना कम्पनी के एवं 29 छोटे सिलेण्डर बगैर कम्पनी व बगैर नम्बर के, 04 गैस भरने के उपकरण, 01 काटा व बाट 5 किलो, 01 किलो, 02 किलो, 02 सेर, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम व 25 छोटे सिलेण्डरों के रेगुलेटर व 01 आग बुझाने का उपकरण, 01 पाना व 02 पेचकश जप्त किये जाकर धारा 6ए के तत्कालीन एलपीजी ऑर्डर1968 एवं राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट लाईसेंस एण्ड कन्ट्रोल आदेश, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट की अवहेलना कर अपराध कारित किया गया है। जिस पर मुकदमा नं.35 दिनांक 12.2.1991 पीएस नयाशहर, बीकानेर में दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण का निस्तारण श्रीमान् न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा दिनांक 16.2.2005 को किया जाचुका है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण शंकरलाल पुत्र दाऊलाल जाति अरोड़ा, मंगतराम पुत्र मोतीलाल जाति अरोड़ा निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त जब्त शुदा सिलेण्डरों को अपना होना नहीं स्वीकार किया, जिस से न्यायालय ने सन्देह का लाभ देकर उन्हें दोषमुक्त किया गया। अभियोजन अधिकारी का यह भी कथन है कि उक्त सिलेण्डर व सामान कोई मालिक नहीं होने से अज्ञात के नाम से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी को धारा 6(बी) का नोटिस दिया जाना संभव नहीं होने के कारण प्रकरण में उक्त जब्तशुदा उक्त 5 बडे गैस सिलेण्डर नम्बर0100451 बी.पी.ओ. 27049 इण्डेन, 127208 इण्डेन, 169409 इण्डेन, 48223 एच.पी. तथा 9 सिलेण्डर मिडियम साईज बिना नम्बरी व बिना कम्पनी के एवं 29 छोटे सिलेण्डर बगैर कम्पनी व बगैर नम्बर के, 04 गैस भरने के उपकरण, 01 काटा व बाट 5 किलो, 01 किलो, 02 किलो, 02 सेर, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम व 25 छोटे सिलेण्डरों के रेगुलेटर व 01 आग बुझाने का उपकरण, 01 पाना व 02 पेचकश को बहक सरकार अधिहरण करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। हमनें विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी अज्ञात होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6(बी) के तहत सार्वजनिक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं होने व न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बीकानेर के न्यायालय अप्रर्थीगणों ने उक्त सिलेण्डरों को अपना नहीं होना स्वीकार करने के कारण हम विभागीय प्रतिनिधि की	

जिला कलक्टर, बीकानेर

PTO

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
स्टेट/अज्ञात
(धारा 6(ए) ई.सी.एक्ट)
मुकदमा संख्या 9 /19

30.09.2019	बहस से सहमत होते हुए उक्त जब्तशुदा एलपीजी ऑर्डर1968 एवं राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडक्ट लाईसेंस एण्ड कन्ट्रोल आदेश, 1990 के प्रावधानों **का उल्लंधन** की तारीफ में आने के कारण स्टेट का प्रार्थना–पत्र धारा 6(ए) स्वीकार किया जाना उचित पाते है। अतः प्रश्नगत 5 बडे गैस सिलेण्डरों तथा 9 सिलेण्डर मिडियम साईज बिना नम्बरी व बिना कम्पनी के एवं 29 छोटे सिलेण्डर बगैर कम्पनी व बगैर नम्बर के, 04 गैस भरने के उपकरण, 01 काटा व बाट 5 किलो, 01 किलो, 02 किलो, 02 सेर, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम व 25 छोटे सिलेण्डरों के रेगुलेटर व 01 आग बुझाने का उपकरण, 01 पाना व 02 पेचकश को एतद् द्वारा बहक सरकार अधिहरण **(Confiscate)** किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि उपर्युक्तानुसार सीजशुदा 5 बडे गैस सिलेण्डरों का निस्तारण संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा ही किया जायेगा। यदि संबंधित ऑयल कम्पनी प्रश्नगत गैस सिलेण्डरों को किसी उपभोक्ता के हक में कनेक्शन नये सिरे से देती है तो कनेक्शन से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराऐं और कम्पनी यदि सिलेण्डरों को उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो **D.S.O. /स्टॉफ** के समक्ष इनको **Destroy** करें एवं **Destroy** के पश्चात् उनके स्क्रेप को सार्वजनिक निलामी **(Public auction)** के जरिये नीलाम करें। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा करावें। शेष 9 सिलेण्डर मिडियम साईज बिना नम्बरी व बिना कम्पनी के एवं 29 छोटे सिलेण्डर बगैर कम्पनी व बगैर नम्बर के, 04 गैस भरने के उपकरण, 01 काटा व बाट 5 किलो, 01 किलो, 02 किलो, 02 सेर, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम व 25 छोटे सिलेण्डरों के रेगुलेटर व 01 आग बुझाने का उपकरण, 01 पाना व 02 पेचकश जरिये सार्वजनिक निलामी थानाधिकारी/डी.एस.ओ. बीकानेर अपनी उपस्थिति में करवाऐगें। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, नयाशहर एवं **D.S.O.** व संबंधित ऑयल कम्पनी को पालनार्थ भेजी जावे। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर